22.09.2023

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री के0आर0 सिंह उपस्थित।

प्रकरण पंजीयन पर तर्क हेतु नियत है।

परिवाद पत्र के संबंध में पंजीयन पर तर्क श्रवण किए गए।

परिवाद पत्र में उल्लेखित तथ्य, धारा–200 एवं 202 द.प्र.सं. के कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्तगण के द्वारा प्रथम दृष्टया धारा–323/34, 506 भाग–2 भा.द.सं. का अपराध किया जाना प्रकट होने से उनके विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जावे।

प्रकरण आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किया जावे।

परिवादी परिवाद पत्र की प्रतिलिपि सहित तलबाना अदा करे तो अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु समंस जारी किया जावे।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु दिनांक–17.11.2023 को प्रस्तुत हो।

(विष्णु दुबे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
राजनगर

VISHNU DUBEY

Digitally signed by VISHNU DUBEY
Date: 2023.09.22 17:13:02 +0530